किसान गंभीर रूप से तनावग्रस्त हैं

बिजनेस लाइन

पेपर-III (अर्थव्यवस्था)

दुनिया भर के कृषक समुदायों में मानसिक स्वास्थ्य पर किए गए अध्ययनों ने कई सामान्य जोखिम कारकों की पहचान की है। इनमें कमोडिटी की कीमतों में उतार-चढ़ाव, कर्ज का उच्च स्तर, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, सूखे की लंबी अवधि, अत्यधिक काम का बोझ, कीटनाशकों का जोखिम, सरकारी नियम, सामाजिक अलगाव, भूमिका संघर्ष, समय का दबाव और अपर्याप्त आवास शामिल हैं।

परेशान करने वाली बात यह है कि गैर-किसानों की तुलना में किसानों को यह महसूस होने की अधिक संभावना है कि जीवन जीने लायक नहीं है। किसानों के बीच आत्महत्या के प्रयासों के लिए मानसिक विकारों को एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक के रूप में पहचाना गया है।

परेशान करने वाले आँकड़े इस मुद्दे की गंभीरता को और उजागर करते हैं। फरवरी 2022 में, लोकसभा ने बताया कि भारत में 2018 और 2020 के बीच 17,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। अकेले महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में, हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि 1 जनवरी, 2022 और मध्य अगस्त के बीच 600 किसानों की आत्महत्या से मृत्यु हो गई, जैसा कि औरंगाबाद में संभागीय आयुक्त कार्यालय द्वारा रिपोर्ट किया गया है। दुर्भाग्य से, इस संकटपूर्ण प्रवृत्ति से निपटने का कोई निश्चित समाधान अभी भी अस्पष्ट है।

स्थिति

किसानों के मानसिक स्वास्थ्य का व्यक्तियों, उनके परिवारों, कृषि उत्पादकता और जानवरों के स्वास्थ्य और कल्याण पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। किसानों और खेतिहर मजदूरों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है।

यदि किसानों को सामान्य आबादी के समान मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो यह सुझाव देगा कि दुनिया भर में लगभग 25 प्रतिशत किसान, या लगभग 225 मिलियन व्यक्ति, सालाना अपने मानसिक स्वास्थ्य के साथ कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

यह अनुमान इस तथ्य को ध्यान में रखता है कि विश्व स्तर पर 570 मिलियन से अधिक फार्म हैं, जिनमें से लगभग 550 मिलियन फार्म परिवार द्वारा संचालित हैं, और दो सदस्यीय परिवारों के रूढ़िवादी आंकड़ों को मानता है। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह गणना संभवतः एक रूढ़िवादी अनुमान है, क्योंकि सबूत बताते हैं कि किसानों को सामान्य आबादी की तुलना में मानसिक बीमारी की उच्च दर का अनुभव हो सकता है। इसके अलावा, यह अनुमान कृषि श्रमिकों और कृषि कार्यों में शामिल अन्य व्यक्तियों को शामिल नहीं करता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्थान ने 130 विभिन्न व्यवसायों की जांच की और पाया कि खेत श्रमिकों और खेत मालिकों में तनाव से संबंधित स्थितियों और मानसिक विकारों से होने वाली मौतों की दर अधिक थी।

कुछ अध्ययनों से संकेत मिलता है कि महिला किसानों को खेत और घर की जिम्मेदारियों के बीच भूमिका संघर्ष और साझेदार समर्थन की कमी के कारण उच्च मनोवैज्ञानिक संकट का अनुभव होता है। बढ़ा हुआ काम का बोझ और लंबे समय तक काम करने के घंटे उनके भावनात्मक संकट में योगदान करते हैं।

कृषक महिलाएं अक्सर अपने साथी के स्वास्थ्य को अपने स्वास्थ्य से अधिक प्राथमिकता देती हैं। इसके अतिरिक्त, पशुपालकों और डेयरी किसानों में गैर-किसानों की तुलना में उच्च स्तर के मानसिक विकार और खराब जीवन शक्ति देखी गई है। उच्च ऋण स्तर के बोझ तले दबे युवा किसान भी अधिक तनाव संबंधी लक्षण प्रदर्शित करते हैं।

उम्मीद का प्रकाश

ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर किसानों की प्रभावी ढंग से सेवा करने के लिए आवश्यक सांस्कृतिक क्षमता वाले मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की पर्याप्त संख्या में कमी होती है। अत्यधिक तनाव के समय में, किसानों को किसी पर विश्वास करने और सलाह लेने की आवश्यकता होती

है, क्योंकि यह कठिन परिस्थितियों से निपटने में महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है।

विस्तार कार्यकर्ताओं और सलाहकारों को किसानों की मानसिक भलाई की व्यापक समझ होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और मनोरंजन के रास्ते बनाने से किसानों को खेती से जुड़े तनाव से अस्थायी रूप से बचने का साधन मिल सकता है।

भारत में, महाराष्ट्र क्षेत्र में एक उल्लेखनीय मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप लागू किया गया था, जहाँ किसान आत्महत्याओं में वृद्धि देखी गई थी। इस हस्तक्षेप में ष्सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओंष् की भर्ती शामिल थी जिन्हें स्थानीय मनोचिकित्सकों द्वारा विकसित एक विशेष अवसाद स्क्रीनिंग उपकरण का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। इस हस्तक्षेप का उद्देश्य किसानों के बीच अवसाद के मामलों की अधिक प्रभावी ढंग से पहचान करना और उन्हें परामर्श और दीर्घकालिक उपचार जैसी उचित सेवाओं के लिए संदर्भित करना था।

इन प्रयासों के अनुरूप, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (सीआरआईडीए) किसान संकट सूचकांक नामक एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली शुरू करने के लिए तैयार है। यह सूचकांक संकट के संकेतों की पहचान करने के लिए किसानों के जोखिम, ऋण, अनुकूली क्षमता, भूमि जोत, सिंचाई सुविधाओं और अन्य कारकों को ट्रैक करेगा। सूचकांक का उपयोग किसानों को आय के झटके को रोकने और समय पर राहत प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

अंत में, किसानों की आत्महत्या के मुद्दे को संबोधित करने में सर्वोच्च न्यायालय के रुख को याद करना महत्वपूर्ण है। 2017 में, तमिलनाडु में किसान आत्महत्याओं के संबंध में एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए, जिसे सूखे के कारण फसल की विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि संकटग्रस्त किसान आत्महत्या का सहारा न लें।

संभावित प्रश्न (Expected Question)

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में 2018 और 2020 के बीच 17,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है।
2. केवल मराठवाड़ा क्षेत्र में ही 1 जनवरी, 2022 और मध्य अगस्त 2022 के बीच 600 किसानों की आत्महत्या से मृत्यु हो गई।

उपर्युक्त में से कौन-सा /से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर : c

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : ''भारत में किसानों की आर्थिक स्थिति और उनकी मानसिक स्थिति दोनो ही चिंताजनक है।'' इस कथन का परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

उत्तर का दृष्टिकोण:

- उत्तर के पहले भाग में भारतीय किसानों की वर्तमान स्थिति की संक्षेप में चर्चा करें।
- किसानों की आर्थिक स्थिति और उनकी मानसिक स्थिति दोनो की विस्तृत चर्चा करें।
- अंत में आगे की राह दिखाते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी **UPSC** मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अत: इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।

अविश्वास मत क्यों मायने रखता है?

इंडियन एक्सप्रेस

पेपर-II (राजव्यवस्था)

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को नियमों के तहत आवश्यक 50 सांसदों की संख्या के बाद लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई द्वारा सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस प्रस्ताव को विपक्षी भारत गठबंधन और भारत राष्ट्र समिति के घटकों ने समर्थन दिया है।

विपक्ष क्यों लाया है अविश्वास प्रस्ताव?

मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में हिंसक स्थिति पर संसद में बयान दें. कई दिनों के विरोध और हंगामे के बाद, विपक्ष ने बुधवार को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए दो अलग-अलग नोटिस दिए, इस उम्मीद में कि प्रधानमंत्री को बहस का जवाब देने के लिए मजबूर किया जाएगा।

संविधान निर्दिष्ट करता है कि प्रधान मंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। इसलिए, जब भी सांसद लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हैं तो पीएम बहस का जवाब देते हैं । विपक्षी दलों के इस कदम के लिए पीएम को चर्चा के दौरान उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देना होगा।

संसद के रिकॉर्ड बताते हैं कि 2019 में शुरू हुए मौजूदा लोकसभा के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सात बहसों में हिस्सा लिया है।

इनमें से पांच हस्तक्षेप तब आए जब उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वार्षिक बहस का जवाब दिया। अन्य दो अवसर थे (i) फरवरी 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना के बारे में सदन को सूचित करना, और (ii) 2019 में नवनिर्वाचित अध्यक्ष, ओम बिड़ला को सम्मानित करते हुए उनका भाषण।

विपक्ष ने इस बात की भी आलोचना की है कि पीएम ने मणिपुर पर सदन के बजाय संसद के बाहर बोलने का विकल्प चुना. अतीत में, जब सत्र चल रहा था तो प्रधानमंत्रियों और मंत्रियों ने संसद के बाहर नीति और अन्य घोषणाएँ की थीं। लोकसभा के लगातार अध्यक्षों ने फैसला सुनाया है कि ऐसी घोषणाएं करने से संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं होता है।

सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है?

भारत की कैबिनेट सरकार में, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के नियम यह जांचने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की व्यवस्था प्रदान करते हैं कि मंत्रिपरिषद को सदन का विश्वास प्राप्त है या नहीं।

अब तक सत्ताईस अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं (सूची देखें)। इनमें से कोई भी प्रस्ताव, जिसमें 2018 में पहली मोदी सर. कार के खिलाफ प्रस्ताव भी शामिल है, सफल नहीं हुआ है। मौजूदा सरकार के पास लोकसभा में बड़ा बहुमत है और मौजूदा अविश्वास प्रस्ताव के भी खारिज होने की पूरी संभावना है.

1979 में, प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई को एहसास हुआ कि उनके पास अधिकांश सांसदों का समर्थन नहीं है, और इसलिए सदन ने प्रस्ताव पर मतदान करने से पहले इस्तीफा दे दिया।

विफलता के इतिहास को देखते हुए, विपक्ष अभी भी ये प्रस्ताव क्यों लाता है?

विपक्षी दलों ने सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पर जोर देना जारी रखा है।

1963 में, जेबी कृपलानी ने लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, भले ही प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के पास पर्याप्त बहुमत था।

आचार्य कृपलानी ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा, श्श्ऐसी सरकार के खिलाफ यह प्रस्ताव लाना मेरे लिए बेहद अफसोस की बात है, जो मेरे कई पुराने दोस्तों के साथ, लगभग 30 साल पुराने, लेकिन कर्तव्य की पुकार और अंतरात्मा की आवाज सर्वोपरि है और यहां किसी भी भावना का सवाल ही नहीं उठता।श्श

अपने उत्तर में नेहरू ने कहा कि सरकारों का समय-समय पर परीक्षण किया जाना अच्छा है, तब भी जब उनके पराजित होने की कोई संभावना न हो।

तब नेहरू ने कहा था"अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार में पार्टी को हटाना और उसकी जगह लेना होना चाहिए। वर्तमान उदाहरण में यह स्पष्ट है कि ऐसी कोई अपेक्षा या आशा नहीं थी। और इसलिए बहस, हालांकि यह कई मायनों में दिलचस्प थी और, मुझे लगता है कि लाभदायक भी थी,हालांकि थोड़ी अवास्तविक थी। व्यक्तिगत रूप से, मैंने इस प्रस्ताव और इस बहस का स्वागत किया है। मैंने महसूस किया है कि यह अच्छी बात होगी यदि हम समय-समय पर इस तरह के परीक्षण कराते रहें।श्श

सरकार को लोकसभा के प्रति जिम्मेदार ठहराने के इसी सिद्धांत के कारण विपक्ष ने इंदिरा गांधी के खिलाफ 12 अविश्वास प्रस्ताव लाए, जब वह 1966 से 1975 के बीच प्रधानमंत्री थीं।

अविश्वास प्रस्ताव पर बहस भी व्यापक होती है। भाग लेने वाले सांसद इस बहस के दौरान राष्ट्रीय और राज्य दोनों मुद्दों को उठाते हैं। उदाहरण के लिए, 2018 के अविश्वास प्रस्ताव में तेलुगु देशम पार्टी ने अपने सांसदों को आंध्र प्रदेश से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए देखा। अन्य दलों के भाग लेने वाले सांसदों ने भी ऐसे मुद्दे उठाए जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते थे। यह वह बहस भी थी जिसमें राहुल गांधी ने अपना भाषण खत्म करने के बाद पीएम को गले लगाया था।

मौजूदा अविश्वास प्रस्ताव पर कब शुरू होगी बहस?

लोकसभा की प्रक्रिया के नियम निर्दिष्ट करते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद, अध्यक्ष उस तारीख को निर्दिष्ट करेगा जिस दिन बहस शुरू होगी। यह तारीख सदन में प्रस्ताव स्वीकार होने की तारीख से 10 दिन के भीतर होनी चाहिए।

1987 से अब तक छह अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं। चार मौकों पर, बहस उसी तारीख को शुरू हुई जब प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। बहस आयोजित करने में सबसे लंबा समय छह दिनों का रहा है - 1992 में, जब प्रधान मंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को अपने पहले अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। 2018 का अविश्वास प्रस्ताव 18 जुलाई को स्वीकार किया गया और चर्चा 20 जुलाई को शुरू हुई।

बहस कई घंटों, कई दिनों तक चल सकती है। 2018 की बहस लगभग 12 घंटे की थी; 2003 में, प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ सोनिया गांधी के एक प्रस्ताव पर , दो दिनों में 21 घंटे लग गए।

संभावित प्रश्न (Expected Question)

अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसकी अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति देता है।
2. सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार के विरुद्ध लाए गए थे।

उपर्युक्त में से कौन-सा /से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर : b

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : ''अविश्वास प्रस्ताव भारतीय संसदीय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण साधन है,जिसके माध्यम से चुनी हुई सरकार को सदन के प्रति उत्तरदाई बनाया रखा जाता है।'' इस कथन के संदर्भ में अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा करें तथा वर्तमान में इसे लाने का उद्देश्य स्पष्ट करें। (250 शब्द)

उत्तर का दृष्टिकोण:

- उत्तर के पहले भाग में अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा करें।
- वर्तमान घटनाक्रम और अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे के कारणों की विस्तृत चर्चा करें।
- अंत में आगे की राह दिखाते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।